दिल्ली विकास प्राधिकरण
भूमि प्रबंधन

सार्वजनिक सूचना

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत ऐसे मामलों का विवरण, जिनका निपटान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया चूंकि इन्हें माननीय उच्च न्यायालय के पास वापिस भेज दिया गया था।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से संबंधित मामलों के विभिन्न बैचों में निर्णय दिए हैं, विशेष रूप से 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 24(2) की प्रयोज्यता के संबंध में। ये निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम तेजपाल और अन्य; एनसीटी दिल्ली सरकार (सचिव, भूमि और भवन विभाग के माध्यम से) बनाम मैसर्स के. एल. राठी स्टील्स लि. और अन्य; तथा एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम मैसर्स बीएसके रियल्टर्स एलएलपी और अन्य के मामलों में दिए गए हैं, जिनका निर्णय 17.05.2024 को हुआ था, और साथ ही अन्य ऐसे मामलों में भी, जिनका निर्णय 17.05.2024 को तथा इससे पूर्व एवं पश्चात् में हुआ था।

वर्तमान तिथि तक माननीय उच्च न्यायालय को वापस भेजे गए मामलों की कुल संख्या लगभग 283 है।

इन मामलों का विवरण, जिसमें मामले की जानकारी एवं संबद्ध सूचनाएं शामिल हैं, सार्वजनिक अवलोकन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्न लिंक : **https://dda.gov.in/landmanagement/Policies-Circulars-Guideline** पर उपलब्ध है।

अस्वीकरण: यह किसी भी प्रकार के कानूनी दावे का आधार नहीं होगी और इसे केवल सार्वजनिक सूचना के उद्देश्य से जारी किया गया है।

हस्ता./–
आयुक्त (भूमि प्रबंधन)
दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक: 16.04.2026